उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 12/2022–23

सचिदानन्द ठाकुर.....अपीलकर्त्ता

बनाम

निरंजन कुमार.....उत्तरकारी

आदेश

30.08.2022

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–195/2020 में पारित आदेश दिनांक–20.10.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता दुमका टाउन नं0–7 के बसौड़ी दाग सं0–552 जमाबंदी सं0–13/22 में मकान बनाकर विगत 80 वर्षो से निवास कर रहे है। उक्त बसौड़ी जमीन को अपीलकर्त्ता के नानी स्व0 निशोदावाला ठाकुर द्वारा विक्रय डीड सं0–334/1936 दिनांक–19.06.1936 को महिम चन्द्र सिंह से की गई है जिसे उत्तरकारी द्वारा उक्त मकान से जबरन खाली करने पर लगा हुआ है। उत्तरकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त मकान के दखल में अड़चन कर रहा था, जिस कारण अपीलकर्त्ता द्वारा उत्तरकारी के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में 107/144 cr.P.C वाद दायर किया गया। उक्त विवाद से संबंधित एक मामला अवर न्यायाधीश, दुमका के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0–32/2020 लंबित है। इसके वाबजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत दाग सं0–552 रकवा 03 कट्ठा 11 धूर जमीन से 15 दिनों के अन्तर्गत खाली कर उत्तरकारी को हस्तगत करने का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में W.P. (C) No.-5330/2021 अपील दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में आदेश पारित करते हुए उल्लेख किया गया है कि :–

Kashi Nath Pathak Shrikant Mishra Sanjeev Kumar Das Kamod Nr. Jha

"Considering the aforesaid submission of the learned counsel for the petitioner as well as keeping in view that the impugned order dated 22.10.2021 passed by respondent no. 3 is revisable in nature, this Court in not inclined to entertain the present writ petition and the same is accordingly dismissed as not maintainable.

The petitioner is, however, at liberty to take appropriate statutory recourse against the order dated 22.10.2021 passed by the respondent no. 3 in Misc. Case No. 195 of 2020. "

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न पकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन अपीलकर्त्ता के दादी स्व0 निशोदावाला ठाकुर द्वारा विक्रय डीड सं0–334/1936 दिनांक–19.06.1936 को क्रय किया गया है तथा मकान बनाकर 80 वर्षो से वसोवास कर रहा है। उत्तरकारी द्वारा बाधा उत्पन्न करने के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में विविध वाद सं0–195/2020 दायर किया गया। इस जमीन से संबंधित स्वत्व वाद सं0–32/2020 अवर न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित रहने के पश्चात् भी अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से खालीकर उत्तरकारी को हस्तागत करने का आदेश पारित किया जो न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि विवादित बसौड़ी जमाबंदी नं0–13/2 प्लॉट नं0–552 रकवा 03 कट्ठा 11 धूर जमीन पंजी–II के Volume Page No. 114 पर बाबु मोहिम चन्द्र सिंह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता का दावा विवादित प्लॉट नं0–552 पर विक्रय पत्र 334/1936 के आधार पर किया गया है, किन्तु निशोदावाला ठाकुर द्वारा प्लॉट नं0–580/2197 रकवा 02 कट्ठा 18 धूर

जमीन का क्रय वजाप्ते विक्रय पत्र दलील सं0–334/1936 द्वारा किया गया है। उत्तरकारी का दावा विवादित प्लॉट सं0–552 पर निबंधित विक्रय पत्र दलील सं0–299/2020 का क्रय बाबु महिम चन्द्र सिंह का वंशज नरहरि सिंह से किया गया है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी के नाम दर्ज निबंधित केवाला में प्लॉट नम्बर अलग–अलग है।

प्रावधान

The Bihar Board's Miscellaneous Rules, 1958 :-

Rule-3- Relation of higher to lower authority-"A higher authority has all the powers of any lower authority and, further, may, with or without appeal, modify or reverse any orders passed by a lower authority in a matter primarily within the competence of the lower authority, unless, by any law, the orders of the lower authority are final."

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित दाग सं0–552 में अपीलकर्त्ता का दावा क्रय दलील सं0–334/1936 के आधार पर है पर जबकि उक्त दलील में दाग सं0–580/2197 अंकित है। उत्तरकारी उक्त दाग सं0–552 को विक्रय दलील सं0–229/2020 द्वारा प्राप्त किया गया है। प्रश्नगत विवादित जमीन के संबंध में स्वत्व वाद सं0–32/2020 लंबित होने की सूचना है। इस विवादित जमीन पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा स्वत्व निर्धारण का आदेश पारित किया जाना नियम के अनुकूल नहीं है, साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा किस अधिनियम के तहत् आदेश पारित किया गया, आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है। फलस्वरूप पारित आदेश नियामानुकुल प्रतीत नहीं होता है, तथा The Bihar Boards Miscellaneous Rules 1958 के Rule–3 के आलोक में निरस्त करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश नियमानुकुल नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद में Merit पर किसी प्रकार का निर्णय लिये बिना अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को क्षेत्राधिकार के अभाव के आलोक में विलोपित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:04:16 +05:30
Location: 169.254.227.244